

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 2014 / अग्रहायण 22, 1936

No. 669]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 2014/AGRAHAYANA 22, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014

**सा.का.नि. 892(अ).**—ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसको केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, को श्री सुभाष कुमार, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत यदि किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व यदि कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप नियम**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 82 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

- "82. (1) प्रत्येक ठेकेदार इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप 24 में प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी या उससे पूर्व उस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व जिससे वह संबंधित है श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा ।
- (2) किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापना का प्रत्येक प्रधान नियोजक एकीकृत वार्षिक विवरणी उस वर्ष की 1 फरवरी या उससे पूर्व जिससे वह संबंधित है, अपलोड करेगा ।
- (3) मुख्य नियोजक या ठेकेदार उस वर्ष की जिससे वह संबंध रखती है 1 फरवरी या उससे पूर्व संबंधित प्राधिकारियों को मैन्यूअल रूप में एकीकृत वार्षिक विवरणी भी फाइल करेगा ।
- (4) यदि नियोजक रजिस्ट्रों, अभिलेखों या रिपोर्टों को इलेक्ट्रानिकी प्ररूप में रखता है तो ऐसे रजिस्ट्रों या अभिलेखों या रिपोर्टों पर निरीक्षक द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख की जांच करने के प्रयोजन के लिए भी विचार किया जाएगा और निरीक्षण के लिए उनको प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।"

3. मूल नियमों में प्ररूप 14 और प्ररूप 15 का लोप किया जाएगा ।

4. मूल नियमों में प्ररूप 23 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

#### एकीकृत वार्षिक विवरणी प्ररूप - 'XXIV'

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971

[देखें नियम 82 (1) और (2)]

#### क्रम सं. क. साधारण भाग

विशिष्टियां:

(क) स्थापन का नाम

स्थापन का पता, मकान सं...../ फ्लैट सं.....गली/प्लॉट सं..... शहर.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

(ख) नियोजक का नाम.....

नियोजक का पता.....

मकान सं...../फ्लैट सं.....गली/प्लॉट सं.....

शहर.....जिला.....राज्य.....

पिन कोड.....

(ग) स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का नाम

मकान सं...../फ्लैट सं.....गली/

प्लॉट सं.....शहर.....जिला.....राज्य.....पिनकोड.....

ई-मेल पहचान..... टेलीफोन.....मोबाइल.....

**क्रम सं. ख नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिनियमों के अधीन नियोजक की रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या**

क्रम सं. (1)	नाम (2)	रजिस्ट्रीकरण (3)	यदि हां (रजिस्ट्रीकरण संख्या) (4)
1.	भवन और अन्य संनिर्माण संकर्म (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1966		
2.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970		
3.	अंतरराज्यीक प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979		
4.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1920		
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		
6.	खान अधिनियम, 1982, कोयला खान विनियमन, 1957 या खान और खनिज विनियम 1961 के विनियम 3 के अधीन खोलने की सूचना		
7.	कारखाना अधिनियम, 1948		
8.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961		
9.	दुकान एवं स्थापन अधिनियम (राज्य अधिनियम)		
10.	तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि		

**क्रम संख्या ग प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रमिक के ब्यौरे:**

1.	किसी ठेकेदार की स्थापना की दशा में प्रधान नियोजक का नाम	
2.	स्थापना के प्रारंभ की तारीख	
3.	वर्ष के दौरान स्थापना में लगे हुए ठेकेदारों की संख्या	
4.	वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिनमें ठेका श्रमिक को नियोजित किया गया था	
5.	वर्ष के दौरान ठेका श्रमिक द्वारा कार्य किए गए मानक दिवसों की कुल संख्या	

6.	प्रबंधक अभिकर्ता का नाम (खानों की दशा में)	
7.	पता मकान.....सं./फ्लैट सं..... गली/प्लॉट सं..... शहर.....जिला.....राज्य.....पिन कोड .....	
	ई-मेल पहचान..... टेलीफोन.....मोबाइल.....	

**क्रम संख्या घ कार्यदिवस और साप्ताहिक दिवस:**

1	वर्ष के दौरान कार्यदिवसों की संख्या	
2.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए मानव दिवसों की संख्या	
3.	कार्य के दैनिक घंटे	
4.	साप्ताहिक विश्राम दिवस	

**क्रम संख्या ड. वर्ष के दौरान किसी भी नियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या**

क्रम संख्या	पुरुष	महिला	कुमार (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच)	बालक (14 वर्ष की आयु से कम)	योग

**क्रम संख्या च मजदूरी दरों (श्रेणीवार) :**

श्रेणी	मजदूरी की दरें	कर्मकारों की संख्या							
		नियमित				ठेका			
		पुरुष	स्त्री	बालक	कुमार	पुरुष	स्त्री	बालक	कुमार
अति कुशल									
कुशल									
अर्द्धकुशल									
अकुशल									

**क्रम संख्या छ (क) संदाय के ब्यौरे**

संदत्त समग्र मजदूरी		कटौतियां			संदत्त शुद्ध मजदूरी	
नकद में	वस्तु में	जुर्माना	नुकसान या हानि के लिए कटौतियां	अन्य	नकद में	वस्तु में

**(ख) ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी दी गई थी**

क्रम संख्या	वर्ष के दौरान	कर्मकारों की संख्या	मजदूरी सहित छुट्टी प्रदान की गई

**क्रम संख्या ज कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं के ब्यौरे**

क्रम संख्या	प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं की प्रकृति	कानूनी (कानून विनिर्दिष्ट करें)

**घोषणा**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य और सही है तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी स्थापना को लागू सभी श्रमिक विधियों के सभी उपबंधों का मैंने अनुपालन किया है।

स्थान..... तारीख..... यहां हस्ताक्षर करें.....

[सं. एस-16011/2/2014-एल डब्ल्यू]

राजीव सदानन्दन, महानिदेशक श्रम कल्याण/संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, 12th December, 2014

**G.S.R. 892(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 35 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Subhash Kumar, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect of the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1971 (hereinafter referred to as the principal rules) for rule 82, the following rule shall be substituted, namely:—

“82. (1) Every contractor shall upload a Unified Annual Return in the Form XXIV specified in these rules, on the web portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the close of the year to which it relates.

(2) Every principal employer of a registered establishment shall upload a Unified Annual Return on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.

- (3) The principal employer or contractor shall also file a Unified Annual Return to the concerned authorities manually on or before the 1st day of February following the close of the year to which it relates.
- (4) In case, if, the employer maintain registers or records or reports in electronic form, such registers or records or reports shall also be taken into consideration by the inspector for the purpose of examination of any register or record required to be kept under the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970) and the rules made thereunder and require the production thereof for inspection.”

3. In the principal rules, form XIV and form XV shall be omitted.

4. In the principal rules, after Form XXIII, the following form shall be inserted, namely:—

**UNIFIED ANNUAL RETURN FORM-‘XXIV’**

**Contract Labour (Regulation and Abolition) (Central) Rules 1971**

[See rule 82(1) and (2)]

**S. NO. A. General part:**

**Particulars:**

(a) Name of the establishment \_\_\_\_\_

**address of the establishment.** House No. \_\_\_\_\_ / Flat No. \_\_\_\_\_  
Street/Plot No. \_\_\_\_\_ Town \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_

(b) Name of the employer \_\_\_\_\_

**address of the employer.** \_\_\_\_\_ House No. \_\_\_\_\_ /Flat No. \_\_\_\_\_  
Street/Plot No. \_\_\_\_\_ Town \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_  
E-mail ID \_\_\_\_\_ Telephone Number \_\_\_\_\_ Mobile Number \_\_\_\_\_

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment

**Address** House No. \_\_\_\_\_ /Flat No. \_\_\_\_\_ Street/Plot No. \_\_\_\_\_  
Town \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_  
E-mail ID \_\_\_\_\_ Telephone Number \_\_\_\_\_ Mobile Number \_\_\_\_\_

**S. No. B Employer’s Registration/ License number under the Acts mentioned in column (2) of the table below:**

S. No (1)	Name (2)	Registration (3)	If yes (Registration No.) (4)
1	The Building and Other Construction Workers (RE&CS) Act, 1996.		
2	Contract Labour (R&A) Act, 1970.		
3	The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.		
4	The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.		
5	The Employees’ State Insurance Act, 1948.		
6	The Mines Act, 1952. Notice of opening under Regulation 3 of Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of MMR 1961.		



**S. No. G (a) Details of Payments:-**

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

**(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year.**

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

**S. No. H Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes.**

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

**DECLARATION**

It is to certify that the above information are true and correct, and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ SIGN. HERE \_\_\_\_\_

[No. S-16011/2/2014-LW]

RAJEEV SADANANDAN, Director General Labour Welfare/Jt. Secy.